न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : नन्दकिशोर राजोरा, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 11/2017

अपीलाण्ट

1. वचनाराम पुत्र पदमाराम जाति मेघवाल निवासी रूपावटी कला तहसील रानीवाडा, जिला जालोर

बनाम

रेस्पोडेन्ट्स

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रानीवाडा, जिला जालोर।
2. शान्तिलाल पुत्र पदमाराम,
3. जसाराम पुत्र पदमाराम,
4. भैराराम पुत्र पदमाराम
5. चौपाराम पुत्र पदमाराम
6. केवदा पुत्र हेमाराम जातिययान मेघवला, निवासीगण रूपावटी कला, तहसील रानीवाडा, जिला जालोर

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :-

श्री सिकन्दर अली सैय्यद, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट

सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की ओर से

समंदर खां खोखर रेस्पोडेन्ट संख्या 02 से 06

-: निर्णय :-

दिनांकः-30/9/22

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत न्यायालय सहायक कलेक्टर रानीवाडा द्वारा राजस्व वाद संख्या 41/2013 में पारित निर्णय दिनांक एवं डिक्री दिनांक 20.10.2016 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

पत्रावली में पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम 1963 पर उपस्थित उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। बहस पर मनन किया गया। तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया। अपीलाण्ट द्वारा अपनी अपील को अन्दर म्याद शुमार करवाने हेतु परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया। विधि अनुसार जहां हक हकूकों का प्रश्न अवधारित हो, वहां पर म्याद के तकनीकि बिन्दु को गौण रखते हुए गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाना विधि सम्मत माना गया है। इस अनुसार वकील अपीलाण्ट द्वारा परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एवं बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को पर मनन करने के पश्चात अपीलाण्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है। अतः अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 के तहत स्वीकार किया जाकर अपीलाण्ट की अपील अन्दर म्याद शुमार की जाती है।

विद्धान अभिभाषक अपीलान्ट ने बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद अन्तर्गत धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर ग्राम बड़गाव के खसरा नम्बर 1942 रकबा 0.47 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1943 रकबा 0.43 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1944 रकबा 0.33 हैक्टेयर खसरा नम्बर 1947 रकबा 1.53 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 1948 रकबा 0.56 हैक्टेयर की आराजी भूराराम, पूनमाराम, मनोहर, विनोद व लेहरा, जातियान भील, निवासी बडगांव के खातेदारी की राजस्व रेकर्ड के अनुसार है लेकिन उक्त भूमि इकरारनामा दिनांक 17.11.1981 व बेचाननामा दिनांक 16.11.1978 के जरिये अपीलाण्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 02 से 06 वचनाराम, शान्तिलाल, जसाराम, भैराराम, चौपाराम, व केवदाराम को गलतरूप से कर दिया, अनूसुचित जनजाति की भूमि का हस्तान्तरण अनूसूचित जाति के व्यक्ति के नाम नहीं किया जा सकता है, जिससे उक्त भूमि को खालसा सरकार के हक में घोषित किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट संख्या 01 का धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र खारिज किया है इस संबंध में अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 02 से 06 को कोई ऐतराज नहीं है लेकिन अपीलाण्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 02 से 06 के काउन्टर क्लैम को बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाये खारिज करने में अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी भूल की है। अपीलाण्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 02 से 06 उक्त वादग्रस्त आराजी पर दिनांक 16.11.1978 व 17.11.1981 से कब्जा बिना किसी रोक टोक के लगातार आज दिन तक चला आ रहा है इस संबंध में

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

मौका रिपोर्ट मंगवाई गयी फिर भी इस संबंध में मौखिक साक्ष्य नही ली गई तथा तनकीयात कायम नही की है तथा तनकीयात अनुसार काउन्टर क्लैम पर किसी तरह का कोई निर्णय नही किया है अपीलाण्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 02 से 06 प्रतिकुल कब्जे के सिद्धान्त के आधार पर ही खातेदार मालिक हो चुके है, जिससे काउन्टर क्लैम को कानूनी प्रक्रिया अपनाते हुए अदालत मातहत ने निर्णय नही करने में कानूनी भूल की है। अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा काउन्टर क्लैम पर विचार नहीं करने से काउन्टर क्लैम को मंजुर फरमाकर खातेदारी हक घोषणा, रेकर्ड दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री अपीलाण्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 02 से 06 के पक्ष में जारी फरमाई जावे। अतः अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील निर्णय अपास्त कराते हुए अपीलाण्ट का दावा डिक्री फरमावे।

रेस्पोडेण्ट संख्या 01 की ओर से सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि तहसीलदार रानीवाड़ा द्वारा अधीनस्थ न्ययालय में एक प्रार्थना पत्र धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी को सिवायचक दर्ज करने हेतु पेश कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी के रिकॉर्डेड खातेदार भील जाति (अनुसूचित जनजाति) के है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के द्वारा इकरारनामा दिनांक 16.11.1978 व 17.11.1981 के द्वारा क्रय करना बताया है। अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट संख्या 02 से 06 स्वयं द्वारा कब्जा होना स्वीकार किया जा रहा है। चूंकि इस वाद में ST द्वारा SC के हक में भूमि का हस्तान्तरण किया गया है एवं जो दस्तावेजो के आधार पर प्रमाणित है। वर्तमान में SC के व्यक्ति ही काबिज है। अतः हस्तान्तरण नियम विरूद्ध होने राजहक में निर्णय पारित किया जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि तहसीलदार द्वारा अपीलाण्ट, रेस्पोडेण्ट संख्या 2 से 6 व भूराराम, पूनमाराम, मनोहर, विनोद, लेरा जाति भील निवासी बड़गांव के विरूद्ध मौजा बड़गांव खसरा नम्बर 1942 रकबा 0.47 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1943 रकबा 0.43 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1944 रकबा 0.33 हैक्टेयर खसरा नम्बर 1947 रकबा 1.53 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 1948 रकबा 0.56 हैक्टेयर के सबंध में अनुसूचित जनजाति की भूमि का हस्तान्तरण अनुसूचित जाति के व्यक्ति के नाम किये जाने से उक्त भूमि राज्य सरकार के हक में घोषित करवाने का अनुतोष चाहा। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय पारित किया गया। अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा अपील में जिन बिन्दुओं को रेखाकिंत किया उसमें मुख्य बिन्दु

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

यह है, अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट संख्या 02 से 06 उक्त वादग्रस्त आराजी पर प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदार घोषित करने बाबत काउन्टर क्लैम पेश किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना विधिक प्रक्रियां अपनाएं खारिज किया गया है। अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा रेखांकित किए गए उक्त बिन्दु के परीक्षण हेतु हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में अंकित किया है कि ''अप्रार्थी संख्या 06 से 11 द्वारा धारा 175 के प्रार्थना पत्र में जवाबदावा के साथ काउण्टर क्लैम प्रतिकूल कब्जे के आधार पर प्रस्तुत किया है, जो इस प्रार्थना पत्र की कार्यवाही में मान्यता नहीं है। अतः अप्रार्थी संख्या 06 से 11 का काउण्टर क्लेम खारीज किया जाता है।'' जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती है। इसके अतिरिक्त अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट संख्या 02 से 06 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाबदावा व काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी घोषित कराने का अनुतोष चाहा है। अब प्रकरण में विधिक प्रश्न उद्भूत होता है कि क्या प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी घोषणा का अनुतोष दिया जाना न्यायोचित है अथवा नहीं? इस सम्बन्ध में माननीय राजस्व मण्डल की वृहद पीठ द्वारा आर0आर0टी0 2011 (2) पेज 721 जगदीश व अन्य बनाम सीताराम व अन्य में यह प्रतिपादित किया है कि ''राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 – धारा 232 – परिसीमा अधिनियम 1963 अनुच्छेद 64 व 65, रेफरेन्स– खातेदारी अधिकार प्रतिकूल कब्जे के आधार पर प्रदान किये जा सकते हैं ? काश्तकारी अधिनियम से संबंधित मामलों में परिसीमा अधिनियम के प्रावधान सीमित तौर पर लागू होते हैं – प्रतिकूल कब्जे के आधार पर काश्तकारी अधिकार प्रदान करने का प्रावधान नहीं तथा न्यायालय काश्तकारी अधिकार प्रदान नहीं कर सकते – नया कानून प्रतिपादित करने की राजस्व मण्डल को विधायी शक्ति प्राप्त नहीं है। प्रतिकूल कब्जा के आधार पर काश्तकारी अधिकार प्रदान नहीं किए जा सकते हैं।'' इसी प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा डब्ल्यू0एल0सी0 (एच.सी.) सिविल पेज 32 स्टेट ऑफ हरियाणा बनाम मुकेश कुमार व अन्य में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि '' प्रतिकूल कब्जा –विधि सुधार– प्रतिकूल कब्जे की विधि पर नया दृष्टिकोण अपनाए जाने की आवश्यकता की दृष्टि से संसद या तो इस विधि को समाप्त कर दे अथवा इसमें संशोधन करें। तथ्यों के आधार पर प्रतिकूल कब्जे के दावे को विचारण न्यायालय द्वारा खारिज किया जाना मान्य रहा।'' इसी प्रकार आर0जे0टी0 2011 (1) पेज 468 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि '' प्रतिकूल कब्जा – केवल कब्जा कितना ही लम्बा हो, का तात्पर्य नहीं है कि वास्तविक

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

मालिक के यह प्रतिकूल है – कब्जा प्रतिकूल एवं विवृत होना चाहिये। प्रतिकूल कब्जा साबित करने में अपीलाण्ट असफल रहा। न तो आशमित विक्रय पत्र, न विक्रय करार रेकॉर्ड पर पेश किया। प्रतिकूल कब्जे द्वारा स्वत्व साबित नहीं किया।" इसके अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा डब्ल्यू0एल0सी0 2009 (1) पेज 69 में प्रतिकूल कब्जे को दृष्टिगत रखते हुए यह निर्धारित किया कि "प्रतिकूल कब्जे की विधि का दोष–प्रतिकूल कब्जे का न अभिवचन और न उसकी साक्ष्य–ऐसी परिस्थिति में प्रतिकूल कब्जे के आधार पर डिक्री त्रुटिपूर्ण–प्रतिकूल कब्जे की विधि बेईमानी का पुरस्कार है" उपरोक्त न्यायिक सिद्धान्तों के परिप्रेक्ष्य में यह स्पष्ट होता है कि प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान किया जाना विधिक दृष्टिकोण से त्रुटिपूर्ण है।

विचारण प्रकरण में यह तथ्य भी प्रकट आया है कि अधीनस्थ न्यायालय में तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रार्थना पत्र में वादग्रस्त आराजी के वर्तमान रिकार्डेड खातेदार अप्रार्थी संख्या 1 से 5, एवं उनके वर्तमान वारिशान, जो अनुसुचित जनजाति संवर्ग के है, को अपील में पक्षकार नहीं बनाकर तहसीलदार एवं अप्रार्थी संख्या 7 से 11 जो, कि अपीलाण्ट से दुर्भीसंधी में है, को पक्षकार बनाया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि अपीलाण्ट द्वारा तथ्यों को छुपाकर अपील स्वीकार करवाने का प्रयास किया गया है। जो किसी भी प्रकार से न्यायोचित नहीं है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज की जाती है तथा न्यायालय सहायक कलेक्टर रानीवाडा द्वारा राजस्व वाद संख्या 41/2013 में पारित निर्णय दिनांक एवं डिक्री दिनांक 20.10.2016 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 30/9/22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नन्दकिशोर राजोरा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
पाली